IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1296/2024

IN THE MATTER OF:

RAJENDRA SINGH …APPLICANTS

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH. …RESPONDENTS

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	JOINT COMMITTEE REPORT ON BEHALF OF THE DM MUZZAFFARNAGAR ALONG WITH THE SUPPORTING AFFIDAVIT IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED.26.11.2024	2-25

Through

Date:02.01.2025
Place: New Delhi

PRIYANKA SWAMI
ADVOCATE
COUNSEL FOR SEIAA, UTTAR PRADESH
F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014
E-mail:advpriyankaswami@gmail.com

INDIA NON JUDICIAL

6

Government of Uttar Pradesh

IN-UP29909167371205X

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP29909167371205X
Certificate Issued Date	:	01-Jan-2025 02:16 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14554504/ MUZAFFARNAGAR SADAR/ UP-MJF
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14554504568090897 09532X
Purchased by	:	UMESH MISHRA SO M P MISHRA DM MUZAFFARNAGAR
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	UMESH MISHRA SO M P MISHRA DM MUZAFFARNAGAR
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	UMESH MISHRA SO M P MISHRA DM MUZAFFARNAGAR
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

ACC CODE UP14554504 RAJNESH KUMAR TYAGI LIC NO 15 COLLECTORATE MUZAFFARNAGAR

NOTARY Rakam Pal Singh NOTARY Muzaffarnagar Regd. No. 15936 Expiry 11-02-2025 GOVT. OF INDIA

Please write or type below this line

NOTARIAL NOTARIAL

RAKAM PAL SINGH
NOTARY
MUZAFFARNAGAR

01 JAN 2025

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 1296/2024

NOTARY

IN THE MATTER OF :

NOTARY
Rakam Pal Singh
NOTARY
Muzaffarnagar
Regd. No. 16936
Expiry 11-02-2025
GOVT. OF INDIA

RAJENDRA SINGH Vs STATE OF UTTAR PRADESH

NOTARY

JOINT INSPECTION REPORT ON BEHALF OF THE DISTRICT MAGISTRATE, MUZAFFARNAGAR, 251001 UTTAR PRADESH, INDIA IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 26.11.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI IN ORIGINAL APPLICATION NO. 1296 OF 2024 IN THE MATTER OF RAJENDRA SINGH Vs STATE OF UTTAR PRADESH.

NOTARY

I, Umesh Mishra, aged about 52 years S/o Shri M.P. Mishra, presently posted as District Magistrate, Muzaffarnagar do hereby solemnly affirm and state on oath as under :

NOTARY

RAKAM PAL SINGH
NOTARY
MUZAFFARNAGAR

01 JAN 2025

1. That the deponent is working on the above mentioned post and being authorized officer in the captioned matter and well conversant with the facts and circumstances of the case and as such I am well conversant to swear this affidavit.

2. That this Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter referred as Hon'ble Tribunal) vide its order dated 26.11.2024 in Original Application No. 1296 of 2024 in the matter of Rajendra Singh Vs State of State of Uttar Pradesh & Ors. instructed the following :-

".......3. In our view, before proceeding further in the matter, it would be appropriate to obtain a factual report to verify the facts and for this purpose, we constitute a joint Committee comprising District Magistrate, Muzaffarnagar; and Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as "UPPCB").

4. District Magistrate, Muzaffarnagar shall be the nodal authority for coordination and compliance.

5. The said Committee shall visit the site, collect relevant information, particularly in respect to compliance of Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria For Establishment) Rules, 2012 and submit report within one month...."

NOTARY Rakam Pal Singh NOTARY Muzaffarnagar Regd. No. 16936 Expiry 11-02-2025 GOVT. OF INDIA

RAKAM PAL SINGH
NOTARY
MUZAFFARNAGAR

01 JAN 2025

1. For complying of direction passed by Hon'ble NGT in this matter, the report of Joint Committee is attached herewith as **Annexure-1**.

2. Therefore, the above report on behalf of District Magistrate, Muzaffarnagar is submitted before this Hon'ble Tribunal for perusal and kind consideration.

31.12.24

Deponent

NOTARY
Rakam Pal Singh
NOTARY
Muzaffarnagar
Regd. No. 15936
Expiry 11-02-2025
GOVT. OF INDIA

VERIFICATION

I, the deponent named above, do hereby verify that the content of all the paras of this affidavit is true to my knowledge and true on the basis of records and as per legal advice. No part of it is false and nothing material has been concealed. So help me GOD.

Verified at Muzaffarnagar on 01st day of January 2025.

Deponent

01 JAN 2025

Sworn before me today above ... deponent is/are identified by Shri ... I have satisfied myself by examining the deponent who understand the contents of affidavit which has been read out & explained by me to the deponent fee charged Rs. ...
NOTARY, DISTT. MUZAFFARNAGAR

RAKAM PAL SINGH
NOTARY
MUZAFFARNAGAR
01 JAN 2025

Identified by

ACTION TAKEN REPORT IN Original Application arising from OA No. 1296/2024 passed by the National Green Tribunal on 26.11.2024 in the matter Rajendra Singh Versus State of U.P.
==

BACKGROUND :

- In reference to the grievance aroused by Mr. Rajendra Singh, The applicant has made allegation with respect to illegal operation of the Brick Kiln in violation of Environmental Laws and also not conforming with the siting criteria as per the Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for Establishment) Rules 2012 issued on 27.06.2012.

Hon'ble National Green Tribunal order dated 26.11.2024

- Hon'ble National Green Tribunal issued directions on 26.11.2024 constituting a team of District Magistrate, Muzaffarnagar and Uttar Pradesh Pollution Control Board with directions to inspect the brick kiln to verify the facts mentioned in the complaint and siting criteria.
- Hon’ble National Green Tribunal, passed directions on 26.11.2024. Effective part of the order is as below :-

Order dated 26.11.2024

".......3. In our view, before proceeding further in the matter, it would be appropriate to obtain a factual report to verify the facts and for this purpose, we constitute a joint Committee comprising District Magistrate, Muzaffarnagar; and Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as “UPPCB”).

4. District Magistrate, Muzaffarnagar shall be the nodal authority for coordination and compliance.

5. The said Committee shall visit the site, collect relevant information, particularly in respect to compliance of Uttar Pradesh

Brick Kilns (Siting Criteria For Establishment) Rules, 2012 and submit report within one month.

6. List on 03.01.2025.

In compliance to the above directions, joint inspection was carried out by the nominated members (District Magistrate Muzaffarnagar and Regional Officer, UPPCB) along with officers of concerned departments including SDM Khatauli and Working Officer Zila Panchayat Muzaffarnagar on 24.12.2024. Mines Officer, Muzaffarnagar has inspected the brick kiln on 30.12.2024 and submitted the report which is annexed as **Annexure-1**.

Observation of the joint committee during inspection dated 24.12.2024

The committee inspected the brick kiln on 24.12.2024 and verified the allegations mentioned by the Applicant in his complaint.

- As per the records of Regional Office, UP Pollution Control Board, Muzaffarnagar, the brink kiln in question (M/s Surya Brick Field, Vill. Faheempur Khurd, Block Khatauli, District Muzaffarnagar) applied for first consent air/water in the year 2010 (issued to the brick kiln previously known by the name M/s Ganga Sidh Brick Field) and was issued Consent Air and Water on 30.06.2010 (Consent Air and Consent Water is annexed as **Annexure-2**).
- As the brick kiln was granted CTO Air and Water by UPPCB for operation of the brick kiln in the year 2010, hence operation of Brick Kiln was verified by the officers of UPPCB during consent application verification and the kiln was found compliant as per guidelines of Zila Panchayat Byelaws for Brick Kilns which was prevalent at that time.
- The complainant in his complaint has complained that the brick kiln has been established against the siting criteria mentioned in Uttar Pradesh Brick Kiln (Siting Criteria for Establishment) Rules 2012. However, this guideline came into affect in the year 2012 but the

brick kiln has been operational since year 2010, hence the guidelines of Zila Panchayat Byelaws for Brick Kilns was considered and brick kiln was found compliant under the provisions of that Byelaws.

- Further, the complainant, apart from mentioning the violations of siting criteria guidelines, has also mentioned use of illegal fuel being used by the brick kiln in question.
- In regard to the siting criteria under the Zila Panchayat Byelaws for Brick Kilns, during inspection siting measurements were verified as per the Zila Panchayat Siting Criteria Byelaws by Regional Officer UPPCB, Working Officer Zila Panchayat and Mines Officer, Muzaffarnagar. Separate report of which is annexed as **Annexure-3** and is also mentioned in below table :

Complaint issues related to siting criteria	**Siting Criteria as per Zila Panchayat Byelaws for Brick Kilns**	**Observation by Joint Committee (Distance from Stack of Brick Kiln)**	**Complying/Non Complying (As per Zila Panchayat Guideline)**
Distance from residential area (more than 150 persons/20 houses)	200 meter	Vill. Fahimpur Khurd 275 Meter Vill. Sikhera 550 Meter Vill. Adampur Mochri 830 Meter Vill. Pipalhera 1200 Meter	Complying
Distance from hospital, school, public building, religious places	200 meter	Hospital, School, Public Building, Religious Places >250 meter	Complying
Distance from National Highway	50 Meter from NH	NH-58 (Delhi-Haridwar) 4.0 Km.	Complying
Distance from main district road/PWD road	Other Roads – 25 meter	Khatauli-Kadhli Grameen Marg >50 Meter	Complying
Distance of brick kiln from mango orchard/mixed fruit orchard	Distance from Orchard (East West 1.5 Km., North South 300 meter)	One small orchard of Mango (22 Trees only) – 340 meter	Complying

Observations and Compliance of specific conditions imposed to the brick kiln under the consent to operate (Air/Water) issued by UPPCB

- District Muzaffarnagar falls in the National Capital Region. The Hon'ble Supreme Court has issued orders in Civil Appeal Diary No. 18213/2021 NCR Brick Kiln Association vs Central Pollution Control Board and others that the brick kilns situated in the National Capital Region will be operated only from 01 March to 30 June. At the time of joint inspection, the brick kiln was not found to be operating in compliance with the said orders.
- Water and Air consent from the UP Pollution Control Board has been issued for the operation of the brick kiln for a period up to 31.07.2027. At the time of inspection, the fee receipts of the Zila Panchayat dated 02.11.2024 for renewal **(Annexure-4)** and the receipt of regulating fee deposited for soil mining dated 14.11.2024 **(Annexure-5)** were submitted by the brick kiln representative at the time of inspection.
- ID fan was found installed as an air pollution control system before discharge through the Brick Kiln stack. Chimney about 30 meters high from the ground floor has been installed for dispersion of the generated emissions, which was found to be in accordance with the environmental standards.

Photos of Stack, ID fan

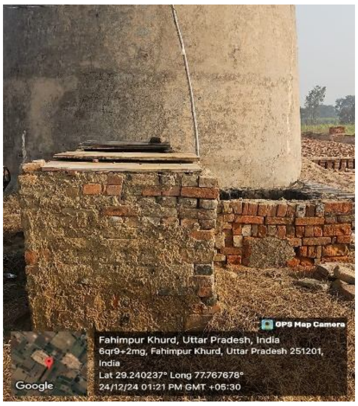

- During the joint inspection, no fuel was found stored in the brick kiln premises as the brick kiln is not in operation presently in compliance to the directions of Hon'ble Supreme Court.
- In compliance to the conditions imposed in the CTO (Air/Water) granted to the unit, following violations were observed with the conditions issued in CTO Air/water :-

i) The green belt was not found in adequate quantity around the brick kiln as per the rules,

ii) a boundary wall of about 7 feet high was found on two sides of the brick kiln,

iii) paving road was found complete on one side of the brick kiln however paving road was not found on other sides.

Further, complainant has mentioned in his complaint that two deep pits have been dug in the brick kiln premises. During the joint inspection, deep pits were not found dug in the brick kiln premises.

Conclusions and Recommendations

- It is clear from the above facts that the brick kiln has been granted consent to operate since 2010 on the basis of the guidelines of the Zila Panchayat Byelaws for Brick Kilns prevalent at that time. The complainant in his complaint has mentioned that the brick kiln has not been established as per the guidelines and siting criteria conditions given in the Uttar Pradesh Brick Kiln (Site Standards for Establishment) Rules 2012. However, the said brick kiln is operated prior to the 2012 guidelines, hence, the said guidelines are not applicable to the brick kiln in question.
- In view of the above, the brick kiln has been found in compliance to the siting criteria and the brick kiln has valid consent to operate under Water and Air Act till 31.07.2027 issued by the board.

However, Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Muzaffarnagar has issued notice to the brick kiln vide letter dated 26.12.2024 **(Annexure-6)** for strict compliance of the conditions imposed in the consent to operate issued to the brick kiln and submit the compliance in a time bound manner.

The above Action Taken Report is put up for perusal and necessary action please.

S.No.	Name of Officials & Details	Signature
1	**Umesh Mishra** District Magistrate, Muzaffarnagar	(signed)
2	**Monalisa Johri** Sub-Divisional Magistrate, Khatauli	(signed)
3	**Ankit Singh** Regional Officer, UPPCB, Muzaffarnagar	(signed)
4	रुखसार कुमार पाल कार्य अधिकारी जिला पंचायत मुजफ्फरनगर	(signed)
5	[illegible] खान अधिकारी मुजफ्फरनगर	(signed)

प्रेषक,

खान अधिकारी,
मुजफ्फरनगर।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मुजफ्फरगनर।

संख्या- 620 /खनन सहायक दिनांक- 01/01/2025

विषय- सूर्या ब्रिक फिल्ड, फहीमपुर खुर्द, तहसील खतौली जनपद मुजफ्फरनगर के विनियमन शुल्क की जाँच के संबंध में।

महोदय,

आपके मौखिक निर्देशानुसार सूर्या ब्रिक फिल्ड, फहीमपुर खुर्द, तहसील खतौली के विनियमन शुल्क जमा की जाँच की दिनांक- 30/12/2024 को जाँच की गयी। उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या- I/756670/86-01099/153/2023 में ईंट भट्टों के संचालन पर विनिमयन शुल्क लिये जाने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए है।

उक्त शासनादेश के तहत सूर्या ब्रिक फील्ड, फहीमपुर खुर्द प्रो0- करनवीर सिंह द्वारा चालान सं0- AKD240361770 दिनांक- 14/11/2024 द्वारा विनिमयन शुल्क जमा की गयी हैं।

उपरोक्त आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

01/01/25
(आशुतोष छिरोल्या),
खान अधिकारी,
मुजफ्फरनगर।

क्षेत्रीय कार्यालय © 0131–2436493

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

मुजफ्फरनगर

Annexure-2

संदर्भ संख्या 824/ब्रिक/गंगा सिद्ध ब्रिक फील्ड/2010

पंजीकृत

सेवा में,

दिनांक 30/6/2010

मै० गंगा सिद्ध ब्रिक फील्ड,
ग्राम–फहीमपुर, ब्लाक–खतौली
मुजफ्फरनगर।

विषय : वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा –21 के अन्तर्गत सहमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कृपया अपने आवेदन पत्र दिनांक .... का अवलोकन करें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया और आपको सशर्त सहमति आदेश संख्या 343 सहमति (वायु) आदेश/ 2010 दिनांक 30/6/2010 को संलग्न किया जा रहा है। आपका ध्यान कमांक संख्या 1,3–9, 11–17 जो नीचे वर्णित है की ओर आकर्षित किया जा रहा है।

1. सहमति में दी गयी शर्तों एवं नीचे दिये गये विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. ....—....... के.वी.ए. क्षमता के डी.जी. सेट से संलग्न चिमनी की ऊंचाई भूतल/भवन की छत से कमशः ....—.... मी. ऊंची की जाये।
3. फ्लू गैस, प्रकिया उत्सर्जन तथा वायु गुणता की अनुश्रवण आख्या इस पत्र प्राप्ति के ....[illegible].... माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
4. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था जैसे **स्थायी चिमनी व ग्रेवीटेशनल सैटलिंग चैम्बर** का प्राविधान इस प्रकार किया जाये, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
5. इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर समस्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की डिजाईन, कार्यक्षमता सम्बन्धी आख्या एवं अपने उद्योग का ले–आउट प्लान प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
6. आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे वायु मण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे।
7. उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें, जिससे वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
8. यह सहमति केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता एवं वर्तमान उत्सर्जन की मात्रा के लिये ही मान्य है।

9. आपके उद्योग की ऑडिट की हुई नवीनतम बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति + वर्तमान सम्पत्ति – वर्तमान देनदारियां) के सत्यापन प्रमाणपत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जांच की जा सके।
10. ईधन का प्रयोग उत्पादन प्रकिया अथवा अन्य प्रकिया हेतु नहीं किया जायेगा।
11. आपको उपकर अधिनियम, 1977 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध में प्रति भेजने की सलाह दी जाती है।
12. उद्योग का पर्यावरणीय वक्तव्य निर्धारित समय अवधि में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
13. भट्टे में कोयला व लकड़ी के अतिरिक्त अन्य किसी ईधन का प्रयोग अनुमन्य नहीं है।
14. भट्टे में रबर कटिंग, आयली स्लज, प्लास्टिक स्क्रेप का प्रयोग करते हुये पाये जाने की दशा में यह सहमति खंडित कर भट्टे के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।
15. भट्टे की चिमनी से होने वाले उत्सर्जन की जांच हेतु सीढ़ी, पोर्ट होल व प्लेटफार्म की व्यवस्था करना आवश्यक है, सुनिश्चित किया जाये।
16. यह सहमति माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अन्तरित आदेश जो कि फ्लाई ऐश के सम्बन्ध में है, के अनुपालन में जारी की जा रही हैं इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन वाद में पारित अन्तिम निर्णय मान्य होगा।
17. बोर्ड द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों एवं भारत सरकार द्वारा पारित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत जारी निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
18.

इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी /सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिये जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिये आरक्षित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

भवदीय

क्षेत्रीय अधिकारी

संदर्भ संख्या ..../वायु प्रदूषण .... तद् दिनांक ....

प्रतिलिपि :

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड .... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय © 0131–2436493

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

कमल सिनेमा बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन रोड, मुजफ्फरनगर–251001

सहमति आदेश पत्र

संख्या 343 /सहमति (वायु) आदेश/ 2010 दिनांक 30/6/2010.

विषय : सहमति मै0 गंगा सिद्ध ब्रिक फील्ड, ग्राम–फहीमपुर, ब्लाक–खतौली, मुजफ्फरनगर

वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथा संशोधित) की धारा 21/22 के अन्तर्गत

संदर्भ : आवेदन संख्या .... दिनांक 29/05/2010

1. वायु अधिनियम 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र मै0 गंगा सिद्ध ब्रिक फील्ड, ग्राम–फहीमपुर, ब्लाक–खतौली, मुजफ्फरनगर को अपने संयंत्रों से संलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायुमण्डल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।

2. यह सहमति दिनांक 29/05/2010 से 31/12/2014 अवधि तक मान्य है।

3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुये भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी /सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिये, जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिये आरक्षित है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

अनुलग्नक :संलग्नक
(सहमति शर्तें)

क्षेत्रीय अधिकारी

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

20

मुजफ्फरनगर

संलग्नक सहमति आदेश संख्या ....343........../ सहमति (वायु) आदेश/ ..../......./2010

दिनांक 30/6/2010

सहमति शर्तें

फ्लू गैस की प्रति घंटा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये चिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नहीं होनी चाहिये।

		सम्बद्ध चिमनी
[i]	भटटे से	110 फिट-ऊची रहे
[ii]		–
[iii]		–
[iv]		–
[v]		–

वायुमण्डल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा निम्न मानकों के अनुरूप हो।

[i] सस्पैन्डेड पार्टिकुलेट मैटर
(एस.पी.एम.)

[ii] मेटल डस्ट (आयरन, जिंक, कापर आदि)
हाइड्रोजन, सल्फर ट्राई आक्साइड, सल्फेद आदि

[iii] सल्फर डाई आक्साइड,

[vi] कार्बन मोनोआक्साइड

[v] हाइड्रोकोर्बन

[vi] अमोनिया

[vii] फ्लोरीन

[viii] मरकैप्टेन

[ix]

[x]

उत्सर्जन का स्तर बोर्ड मानकों के अनुरूप रहे।

3. समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालकों की मात्रा भी मानकों के अनुरूप हो।

4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिस्थापन उद्योग की प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हो।

5. बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप ही उद्योग द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों में संशोधन अथवा प्रतिस्थापन (यदि सक्षम एवं अनुरूप न पाये गये हों) किया जा सकता है।

6. बिन्दु 4, 5, एवं 7 में इंगित नियंत्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रों को कार्यरत स्थिति में इकाई में रखा जाये।

7. इकाई परिक्षेत्र में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी/स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुरूप किया जाये।

8. सहमति आदेश निर्गत किये जाने की दिनांक के एक माह के भीतर इकाई के समस्त स्टैक से हो रहे उत्सर्जन के अनुश्रवण किये जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाये। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाए एवं इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाए।

9. (अ) उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाये एवं इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

   (ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाए जब तक सहमति आदेश की समस्त शर्तों का अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाए।

10. किसी दुर्घटंना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण में निर्धारित मानकों संदर्भित धारा–29 से अधिक होता है या होने की संभावना हो तो बोर्ड और अन्य संस्थानों जो संदर्भित धारा 29 उत्तर प्रदेश (वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1983 वर्णित है, को सूचित करना चाहिये।

11. इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाये।

12. इकाई का रखरखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाये कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन, स्टैक के अतिरिक्त किसी बिन्दु से नहीं होना चाहिये।

13. इकाई द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों अथवा बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा, चिमनी अथवा उक्त किसी "अन्य आउट लेट" से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किये जाने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान किया जाये।

14. इकाई से आबादी, कृषिक उपज इत्यादि को कोई भी नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरन्त बंद किया जाये तथा हटाने की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाये।

15. आवेदनकर्ता इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिये जाने वाले समस्त निर्देशों आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाये। किसी भी समय पर दिये गये आदेश/ निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता/इकाई पर विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

16. उपरोक्त इंगित समस्त शर्तों अधिनियम की धारा 21(6) के अन्तर्गत निरस्त न किए जाने तक वैध रहेगी।

17. आवदेनकर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाये। यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने से 30 दिन अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी की कार्यान्वयन तिथि हो एवं प्रस्तावित नवीन उत्सर्जन की तिथि से 30 दिन पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाये।

18. बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करा दी जायेगी।

19. आवेदक को निरीक्षणकर्ता/ बोर्ड को अनुश्रवण एवं प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों के निर्माण, अधिस्थापन अथवा संचालन तथा अन्य सभी सूचनाय जो वायु प्रदूषण नियंत्रण से सम्बन्धित हों, उपलब्ध करानी होगी।

20. इस सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उद्योग के डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, प्रोपराइटर्स का पता, दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।

21. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुये भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए, उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिये आरक्षित है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 एनजीटी में योजित ओ0ए0 सं0–1296/2024 राजेन्द्र बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश 26.11.2024 के अनुपालन में ईंट भट्टे स्थापना सम्बन्धी दूरियों का जिला पंचायत की गाइडलाइन्स के अनुसार सत्यापन आख्या।

पृष्ठभूमि

- उक्त वाद श्री राजेंद्र सिंह द्वारा की गई शिकायत के संदर्भ में पारित हुआ है। शिकायतकर्ता ने पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करते हुए ईंट भट्ठे का अवैध संचालन किये जाने तथा ईंट भट्टा उत्तर प्रदेश (स्थापना हेतु स्थल मापदंड) नियमावली 2012 जारी दिनांक 27.06.2012 के अनुरूप स्थापित न होने सम्बन्धी की गई है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण का आदेश दिनांक 26.11.2024

- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 26.11.2024 को जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक टीम गठित करते हुए आदेश जारी किए गये, जिसमें शिकायत में उल्लिखित तथ्यों और साइटिंग मानदंडों को सत्यापित करने के लिए ईंट भट्ठे का निरीक्षण करने के आदेश दिए गए।
- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 26.11.2024 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है:–

".......3. In our view, before proceeding further in the matter, it would be appropriate to obtain a factual report to verify the facts and for this purpose, we constitute a joint Committee comprising District Magistrate, Muzaffarnagar; and Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as "UPPCB").

4. District Magistrate, Muzaffarnagar shall be the nodal authority for coordination and compliance.

5. The said Committee shall visit the site, collect relevant information, particularly in respect to compliance of Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria For Establishment) Rules, 2012 and submit report within one month.

6. List on 03.01.2025.

संयुक्त निरीक्षण के दौरान शिकायत में वर्णित साइटिंग मापदंण्डों का अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के समय जिला पंचायत उपविधियों में वर्णित साइटिंग मापदण्डों के अनुपालन की स्थिति निम्नवत् पायी गयी, जो निम्नलिखित तालिका में अंकित है:–

साइटिंग मानक सम्बन्धी शिकायत में उल्लेखित बिन्दु	जिला पंचायत उपविधियों में निर्धारित मानक	संयुक्त समिति द्वारा ईंट भट्टे की चिमनी से पायी गयी दूरियां	मानकों के अनुरूप है अथवा नही (जिला पंचायत गाइडलाईन के अनुसार)
आवासीय क्षेत्र (150 व्यक्ति/20 मकान)	200 मीटर	ग्राम फहीमपुर खुर्द 275 मीटर ग्राम सिखेडा 550 मीटर ग्राम आदमपुर मौचडी 830 मीट ग्राम पीपलहेडा 1200 मीटर	है
अस्पताल/स्कूल/ सार्वजनिक स्थल/धार्मिक स्थल से दूरी	200 मीटर	अस्पताल/स्कूल/ सार्वजनिक स्थल/धार्मिक स्थल से दूरी 250 मीटर से अधिक	है
नैशनल हाईवे से दूरी	50 मीटर	एन.एच.–58 (दिल्ली–हरिद्वार) 4.0 किमी0	है
मुख्य जिला रोड/ पी0डब्ल्यू0डी0 रोड से दूरी	अन्य रोड 25 मीटर	खतौली–कढ़ली ग्रामीण मार्ग 50 मीटर से अधिक	है
ईंट भटटे की आम के बाग/अन्य फलदार बाग की दूरी	बाग से दूरी पूरब–पश्चिम 1.5 किमी0 उत्तर–दक्षिण 300 मीटर	एक छोटा आम का बाग (22 पेड) 340 मीटर	है

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ईंट भट्टे को संचालन हेतु निर्गत जल/वायु सहमति में निहित विशिष्ट शर्तों के अनुपालन का अवलोकन किया गया –

- जनपद मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील डायरी संख्या 18213/2021 एनसीआर ईंट भट्ठा एसोसिएशन बनाम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में आदेश जारी किए हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित ईंट भट्ठों का संचालन केवल 01 मार्च से 30 जून तक ही किया जाएगा। संयुक्त निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा उक्त आदेशों के अनुपालन में संचालित नहीं पाया गया।
- उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर द्वारा ईंट भट्टे को संचालन हेतु जल/वायु सहमति दिनांक 31.07.2027 तक की अवधि हेतु निर्गत है। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा प्रतिनिधि द्वारा नवीनीकरण हेतु जिला पंचायत की फीस रसीदें दिनांक 02.11.2024 (अनुलग्नक–2) तथा मिट्टी खनन हेतु जमा की गई रॉयल्टी रसीद दिनांक 14.11.2024 (अनुलग्नक–3) प्रस्तुत की गई।
- ईंट भट्टे से जनित उत्सर्जन की रोकथाम हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में आई.डी फेन एवं भूतल से लगभग 30 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित है, जो पर्यावरण मानकों के अनुरूप है।

संयुक्त निरीक्षण के दौरान ईंट भट्ठा परिसर में कोई ईंधन भण्डारित नहीं पाया गया, क्योंकि ईंट भट्टा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में वर्तमान मे संचालित नही है।

- ईंट भट्टे को निर्गत सहमति (जल/वायु) में निहित शर्तों में से निम्नलिखित शर्तो का आंशिक अनुपालन पाया गया–

i. ईंट भट्ठे के चारों ओर नियमानुसार पर्याप्त मात्रा में ग्रीन बैल्ट नहीं पाई गई,

ii. ईंट भट्ठे के दो तरफ लगभग 7 फीट ऊंची चारदीवारी पाई गई,

iii. ईंट भट्ठे के एक तरफ पेविंग रोड पूर्ण पाई गई, जबकि दूसरी तरफ पेविंग रोड नहीं पाई गई।

इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में उल्लेख किया है कि ईंट भट्ठा परिसर में दो गहरे गड्ढे खोदे गए हैं। संयुक्त निरीक्षण के दौरान ईंट भट्ठा परिसर में गहरे गड्ढे खुदे हुए नहीं पाए गए।

निष्कर्ष एवं संस्तुतियां

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ईंट भट्ठा जिला पंचायत उपविधियों के अनुरूप स्थापित पाया गया है। ईंट भट्टे को राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत जल/वायु सहमति दिनांक 31.07.2027 में निहित शर्तो का कड़ाई से अनुपालन किये जाने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा कार्यालय के पत्र दिनांक 26.12.2024 के माध्यम से नोटिस जारी किया है।

(सुधीर कुमार पाल)
कार्य अधिकारी
जिला पंचायत, मुजफ्फरनगर

(आशुतोष छिरोल्या)
खान अधिकारी
मुजफ्फरनगर।

(अंकित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मुजफ्फरनगर।

Annexure-4

26

2024-2025

जिला परिषद्/क्षेत्र समिति प्रपत्र संख्या 5

(नियम 41 देखिये)

("डबुल साइडेड कार्बन पेपर" पर अमिट पेन्सिल से लिखा जायेगा)

जिला परिषद् जिले के नाम सहित क्षेत्र समिति के नाम की रबड़ स्टाम्प

बही संख्या ______ रसीद संख्या 274900

मांग रजिस्टर संख्या ______ से

______ (रुपया शब्दों में)

बिल संख्या ______ के पूर्ण/आंशिक भुगतान

______ के मद्दे प्राप्त हुआ।

______ रुपया

Rs = 8005/ मुख्य अधिकारी/खंड विकास अधिकारी

स्थान ______

दिनांक ______

21/11/2024 कर-समाहर्त्ता (टैक्स कलेक्टर)

रोकड़िया

लेखाकार

मांग तथा वसूली का प्रभारी लिपिक

कर अधिकारी।

मूल्य =

पी0एम0यू0पी0-01 जिला पंचायन-16.10.2023-5000 बुक (डी0टी0पी0/आफसेट)।

जिला परिषद्/जिले के नाम सहित क्षेत्र समिति के नाम का रबड़ स्टाम्प

बही संख्या ______ रसीद संख्या 274900

रसीद के अनुसार भुगतानकर्त्ता का नाम ______

रसीद के अनुसार उससे वसूल की गई धनराशि ______

रसीद के अनुसार किस मद्दे वसूल की गई ______

रसीद के अनुसार कर-समाहर्त्ता का नाम, जिसने ______

धनराशि वसूल की ______

इस कूपन को जमा करने वाले ______

अधिकारी का नाम तथा पदनाम

जिला परिषद्/क्षेत्र समिति प्रपत्र संख्या 5

(नियम 41 देखिये)

("डबुल साइडेड कार्बन पेपर" पर अमिट पेन्सिल से लिखा जायेगा)

जिला परिषद् जिले के नाम सहित क्षेत्र समिति के नाम का रबड स्टाम्प

बही संख्या ———— रसीद संख्या 371501

मांग रजिस्टर संख्या ———— से

———— (रुपया शब्दों में)

बिल संख्या ———— के पूर्ण/आंशिक भुगतान

———— के मद्दे प्राप्त हुआ।

———— रुपया

मुख्य अधिकारी/खंड विकास अधिकारी

स्थान ————

दिनांक ————

कर-समाहर्त्ता (टैक्स कलेक्टर)

रोकड़िया

लेखाकार

मांग तथा वसूली का प्रभारी लिपिक

कर अधिकारी।

मूल्य =

पी0एस0यू0पी0-01 जिला पंचायत-16.10.2023-5000 बुक (डी0टी0पी0/आफसेट)।

जिला परिषद्/जिले के नाम सहित क्षेत्र समिति के नाम का रबड़ स्टाम्प

वही संख्या ———— रसीद संख्या 371501

रसीद के अनुसार भुगतानकर्त्ता का नाम ————

रसीद के अनुसार उससे वसूल की गई धनराशि ————

रसीद के अनुसार किस मद्दे वसूल की गई ————

रसीद के अनुसार कर-समाहर्त्ता का नाम, जिसने ————

धनराशि वसूल की ————

इस कूपन को जमा करने वाले ————

अधिकारी का नाम तथा पदनाम

Application No.- 311424250051

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तर प्रदेश

DIRECTORATE OF GEOLOGY AND MINING UTTAR PRADESH

Brick Kiln Certificate

This is to certify that ***KARANVEER SINGH (PROPRIETOR)*** resident of- VILL-FAHIMPUR KHURD TEHSIL KHATAULI MUZAFFARNAGAR **GSTN - 09BXSPS8384R1ZR** is Proprietor/Partner of Brick kiln **SURYA BRICK FIELD** Located at District - **Muzaffarnagar**, Tehsil - **Khatauli**, Village - **Fahimpur Khurd**, Gata - **505M** Number of Paya- **14**, Brick Kiln Type- **ZigZag** has submitted amount **255044** as Total Fee inclusive of Application Fee, Regulating Fee and Palothan Soil fee for Brick kiln session **2024-2025** by challan number ***AKD240361770*** Dated - **14/11/2024**

To be considered as a Certificate of depositing regulating Fee on Brick Earth and valid for transportation and storage of Brick Earth and Palothan Soil. As per Government of UP notification dated 30.10.2023, the amended rule 3(1) of UPMCCR-2021 is as follows "For the purpose of the rule digging or extraction of ordinary clay, ordinary earth for making bricks and pottery shall not be treated as mining operation. provided that pit created by such digging or extraction shall not be deeper then two meters"

As per the Application by the Owner of Brick kiln, Brick Earth digging will be done from

क्रम संख्या	जनपद	तहसील	ग्राम	भू-स्वामी का नाम	गाटा संख्या:	क्षेत्रफल (हे०):
1	Muzaffarnagar	Khatauli	Fahimpur Khurd	HEM SINGH	505	0.205
2	Muzaffarnagar	Khatauli	Chawari	AMAN SINGH	53/2	0.143
3	Muzaffarnagar	Khatauli	Sikhreda	ANGURI, ANANDPAL, AJAYPAL	195M, 269, 266	0.143, 0.143, 0.205

Issuing Date : 14/11/2024

Valid Till : 30/09/2025

This Certificate has been Digitally issued. It has been Downloaded by the applicant from Departmental portal upmines.upsdc.gov.in. after depositing Regulating Fee. This Certificate does not require any Signature.It's validity can be checked from portal upmines.upsdc.gov.in.

Email : romuzaffarnagar@uppcb.in
दूरभाष : 0131–2604300

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6–बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर–251001 (उ०प्र०)

संदर्भ सं० 1187/से/क्षे/ब्रिक फील्ड/मु०नगर/2024
Ref. No.

दिनांक 26-12-2024
Dated

सेवा में,

मै0 सूर्या ब्रिक फील्ड,
ग्राम फहीमपुर खुर्द, ब्लॉक खतौली,
मुजफ्फरनगर।

विषयः आपके ईंट भट्टे को संचालन हेतु राज्य बोर्ड से निर्गत जल एवं वायु सहमति में निहित शर्तो के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा0 एनजीटी में योजित ओ0ए0 सं0–1296/2024 राजेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेशों के अनुक्रम में गठित समिति द्वारा आपके ईंट भट्टा मै0 सूर्या ब्रिक फील्ड, ग्राम फहीमपुर खुर्द, ब्लॉक खतौली, मुजफ्फरनगर का संयुक्त निरीक्षण जिला प्रशासन के साथ इस कार्यालय द्वारा दिनांक 24.12.2024 को किया गया। संयुक्त निरीक्षण के दौरान ईंट भट्टे के चारों ओर समुचित मात्रा में ग्रीन बैल्ट नही पायी गयी, ईंट भट्टे की दो साईड में लगभग 7 फुट उंची बाउन्ड्री वॉल पायी गयी, ईंट भट्टे के एक साईड में पेविंग रोड पूर्ण पायी गयी तथा अन्य साईडों में पेविंग रोड नही पायी गयी जो आपके ईंट भट्टे को संचालन हेतु राज्य बोर्ड से निर्गत जल एवं वायु सहमति में निहित विशिष्ट शर्तो का उल्लंघन है।

अतः आपको निम्नवत् निर्देशित किया जाता है–

1. ईंट भट्टे की परिधि में सामग्री और वाहनों के प्रवेश/निकास के लिए 10 मीटर चौड़े अन्तराल को छोड़ते हुए परिधि के साथ 10 मीटर चौड़ी बहुस्तरीय और बहुमंजिला हरित पट्टी का निर्माण किया जाना सुनिश्चित करे।
2. हरित पट्टीका के लिए भूमि उपलब्ध नही है तो ईंट भट्टे के चारो तरफ 3.0 मीटर ऊँची दीवार का निर्माण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि धूल को उत्सर्जन को रोका जा सके।
3. ईंट भट्टे के चारों तरफ पेविंग रोड का पूर्ण निर्माण किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए बिन्दुवार अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति से 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में आपके ईंट भट्टे के विरूद्ध की गयी नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही का समस्त उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

भवदीय

(अंकित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी